प्रदेश में बैंकों का एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज एनपीए

कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा 12.97% ऋण फंसा, 41.73 लाख से अधिक खाते गैर-निष्पादित

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बैंकों का करीब एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल चुका है। मार्च 2026 तक कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में 99481 करोड़ रुपये का ऋण एनपीए हो गया है। इन क्षेत्रों के 41.73 लाख से अधिक ऋण खाते गैर-निष्पादित हैं। इनमें सबसे खराब स्थिति कृषि क्षेत्र की है, जहां कुल ऋण का 12.97 प्रतिशत एनपीए में बदल चुका है। एमएसएमई क्षेत्र में यह अनुपात 4.98 प्रतिशत और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 6.81 प्रतिशत है।

बैंकों की ओर से शासन और भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी गई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, एनपीए बढ़ने के साथ ही ऋण वसूली भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। तहसील स्तर पर 932565 वसूली प्रमाणपत्र लंबित हैं, जिनमें 17856.36 करोड़ की बैंक देनदारियां फंसी हैं।

कृषि क्षेत्र में बैंकों ने 260154 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है। इसमें से 33,748 करोड़ का कर्ज एनपीए हो चुका है। यानी कृषि क्षेत्र में दिया गया लगभग हर आठवां रुपया फंस गया है। इस क्षेत्र के 30,12,365 ऋण खाते एनपीए की श्रेणी में पहुंच चुके हैं, जो कुल गैर-निष्पादित खातों का करीब 72 प्रतिशत हैं। इससे स्पष्ट है कि किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता पर दबाव बढ़ा है। एमएसएमई क्षेत्र में कुल 302481 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। इसमें 15070 करोड़ रुपये का कर्ज एनपीए हो चुका है। इस क्षेत्र के 947156 ऋण खाते गैर-निष्पादित हैं। हालांकि, 4.98 प्रतिशत एनपीए के साथ इसकी स्थिति कृषि क्षेत्र की तुलना में बेहतर है। वहीं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में भी 50,663 करोड़ रुपये एनपीए हो चुका है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि कुल एनपीए खातों में कृषि की हिस्सेदारी करीब 72% और एमएसएमई की लगभग 23 प्रतिशत है।

ऑनलाइन पोर्टल से भेज रहे वसूली प्रमाणपत्र

रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में राजस्व परिषद के ऑनलाइन पोर्टल से वसूली प्रमाणपत्र भेजे जा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन प्रविष्टि के बाद जिलाधिकारियों को हार्ड कॉपी भेजने की अनिवार्यता के कारण प्रक्रिया धीमी हो रही है। बैंकों ने पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर सरलीकरण की मांग की है, ताकि फंसे ऋण की वसूली में तेजी लाई जा सके।

सचिवालय संघ चुनाव : पर्चे के जरिये मांगा कर्मचारियों से जवाब

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ चुनाव में प्रचार अब आरोप-प्रत्यारोप के दौर में पहुंच गया है। चुनावी सरगर्मी के बीच कर्मचारियों के बीच एक पर्चा वितरित कर मौजूदा सचिवालय संघ के नेतृत्व पर वादाखिलाफी और कर्मचारी हितों की अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं।

पर्चे में समीक्षा अधिकारियों की लंबित समस्याओं, मृतक आश्रितों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण नीति, कार पास, शिशु सदन सहित कई कर्मचारी हितों से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाया गया है। आरोप लगाया गया है कि कर्मचारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं हुआ, जबकि संघ के भीतर गुटबाजी बढ़ने से आम कर्मचारियों की आवाज कमजोर हुई। विपक्षी पैनल ने पर्चे के माध्यम से कर्मचारियों से अपील की है कि वे इस बार ऐसे नेतृत्व का चयन करें, जो व्यक्तिगत हितों के बजाय कर्मचारी हितों को प्राथमिकता दे। पर्चे पर समीक्षा अधिकारी सौरभ सिंह, संजीव कुमार सिन्हा, धीरज कुमार पाण्डेय, कुलदीप सिंह भदौरिया, विनोद कुमार तिवारी और मानस मुकुल त्रिपाठी के नाम व तस्वीरें प्रकाशित हैं। ब्यूरो

विपक्षी पैनल ने दो साल के कार्यकाल पर उठाए सवाल

पीपीपी मॉडल की छह आईटीआई में चलेंगे नए कोर्स

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर चलाए जा रहे छह आईटीआई में कम प्रवेश वाले पुराने पाठ्यक्रमों की जगह नए कोर्स चलाए जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की ओर से यहां पर नए कोर्स शुरू करने की हरी झंडी दी गई है।

विभाग के संयुक्त सचिव मनोज वर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार रायबरेली के सरेनी में पीपीपी आईटीआई में लैब असिस्टेंट की जगह सोलर टेक्नीशियन का कोर्स चलाया जाएगा। उन्नाव के बांगरमऊ में भी सोलर टेक्नीशियन का कोर्स चलेगा।

हरदोई के शाहाबाद में डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपरेटर की जगह सोलर इलेक्ट्रिशियन, बांदा के पैलानी में लैब असिस्टेंट की जगह फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी व डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपरेटर की जगह सोलर इलेक्ट्रिशियन, कुशीनगर के कसया में सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जगह फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी और एटा के मरहरा में फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स चलाया जाएगा।

शिक्षामित्रों ने की मूल विद्यालय वापसी की मांग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ 25 जुलाई को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाएगा। 25 जुलाई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षामित्रों के समायोजन निरस्त किए जाने के बाद से अब तक काफी शिक्षामित्रों का निधन हो चुका है। 25 जुलाई को उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ ही संगठन जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में लंबित समस्याओं के समाधान के लिए मांग पत्र भी जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेगा। इसमें तीन जनवरी 2025 के शासनादेश और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशों के बाद भी शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी और समायोजन की प्रक्रिया न पूरा होना प्रमुख है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया कि इसके साथ ही टीईटी उत्तीर्ण और एनसीटीई मानकों को पूरा करने वाले लगभग 60000 शिक्षामित्रों को सुपर टीईटी से छूट देते हुए उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए। उनकी सेवानिवृत्ति आयु अनुभव और योग्यता को देखते हुए 60 से बढ़ाकर 62 साल की जाए। ब्यूरो

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सीआरपीएफ, प्रयागराज
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय)
ग्रुप केन्द्र के.रि.पु.ब. फाफामऊ प्रयागराज (उ.प्र.)-211022
• CBSE School Code. 74057 • CBSE Alln. No. 2100108 • 8532-2975143 • https://crpfallahabad.kvs.ac.in/ • kvcrpfalld@gmail.com

सत्र 2026–27 में कक्षा 11 (मानविकी वर्ग) तथा कक्षा 12 (विज्ञान वर्ग) की रिक्त सीटों के लिए अंतिम प्रवेश सूचना

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सीओआरपीएफ फाफामऊ, प्रयागराज में सत्र 2026-27 के लिए अन्य विद्यालयों (केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों के अलावा) के छात्रों के लिए कक्षा XI (Humanities Stream) एवं XII (Science Stream) नामांकन हेतु रिक्तियों के सापेक्ष ऑफलाइन मोड में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। प्रवेश हेतु इच्छुक अभिभावक **आफलाईन पंजीकरण और आप्लान फार्म दिनांक 24 जुलाई 2026 से 29 जुलाई 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक जमा कर सकते हैं।**

प्रवेश संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विद्यालय की वेब साईट - https://crpfallahabad.kvs.ac.in देखें।

फा. सं. F. 21850014/2/पीएम श्री के.रि.सी.आर.पी.एफ.प्रयागराज/2026-27
दिनांक : 23.07.2026 — प्राचार्य

वकीलों से मारपीट के मामले में हाईकोर्ट सख्त

स्वयं संज्ञान लेकर कोर्ट ने दर्ज कराई पीआईएल, आदेश सुरक्षित

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जिला न्यायालय परिसर में दिल्ली के वकीलों से मारपीट और न्यायिक कार्य में बाधा पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर एक अलग जनहित याचिका (पीआईएल) दर्ज करने का आदेश दिया। इस पीआईएल को समान मामलों में पहले से विचाराधीन याचिकाओं के समूह से संबद्ध किया जाएगा।

अदालत ने मामले में अंतरिम निर्देशों पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने बुधवार को 21 जुलाई की घटना पर दर्ज नई जनहित याचिका पर आदेश दिया। राज्य सरकार ने बताया कि आरोपी वकील सौरभ वर्मा पर आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर न्यायालय ने विस्तृत विवरण मांगा। पीड़ित दिल्ली के अधिवक्ताओं के बयान देर रात दर्ज किए गए और सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। न्यायालय के आदेश पर घटना का वीडियो भी दाखिल हुआ, और कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा। संबंधित पुलिस अफसर बुधवार को खंडपीठ के समक्ष पेश हुए।

महिला वकीलों पर हमले को लेकर अर्जेंट सुनवाई : लखनऊ पीठ ने मंगलवार शाम 7 बजे एक स्पेशल बेंच में सुनवाई की थी। यह सुनवाई दिल्ली के तीन वकीलों, जिनमें दो महिला वकील थीं, से मारपीट के आरोपों पर हुई। उन्हें कोर्ट में पेश होने से रोका गया था। सुप्रीम कोर्ट की एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ जिला कोर्ट में बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने उनके और मुअक्किल से मारपीट की। दिल्ली के वकील अभिप्सा मोहंती, कोमल अग्रवाल और आशुतोष श्रीवास्तव की अर्जी पर सुनवाई हुई। अर्जी के अनुसार, वकील सौरभ कुमार वर्मा और उनके साथियों ने उन्हें वकालतनामा दाखिल करने से रोका। वकीलों ने बदसलूकी और मुअक्किल मोहम्मद शाकिर से मारपीट का आरोप लगाया। खंडपीठ ने वीडियो और वकीलों के बयानों के आधार पर इसे गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने कहा कि यह लखनऊ की जिला अदालत में पहली बार नहीं हुआ है और न्याय प्रक्रिया में दखल है।

11 अगस्त से शुरू होंगे छात्रवृत्ति आवेदन

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 22 जुलाई से 5 अगस्त तक अपना मास्टर डाटा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक और संबंधित अधिकारी विद्यालयों की मान्यता, सीटों तथा अन्य विवरणों का सत्यापन करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के निजी विद्यालयों की पोर्टल पर मार्किंग भी इसी अवधि में पूरी की जाएगी। नवीनीकरण श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन और हार्डकॉपी जमा करने की प्रक्रिया 11 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगी। विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, आवेदन का सत्यापन और अग्रसारण 30 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। शासन ने लक्ष्य रखा है कि पात्र विद्यार्थियों के खातों में अक्टूबर 2026 तक लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे हस्तांतरित कर दी जाए। ब्यूरो

1.11 लाख आरक्षी नागरिक पुलिस की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी

लखनऊ। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने 1,11,293 आरक्षी नागरिक पुलिस की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। आपत्तियों और प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के बाद यह सूची जारी हुई है। अब इन कर्मियों को रिक्त पदों पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक स्थापना अमृता मिश्रा ने यह आदेश जारी किया। उप पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के प्रावधानों के तहत यह प्रक्रिया हुई है। पूर्व में 1,11,563 आरक्षियों की अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। जिलों और इकाइयों से मिली सूचना के आधार पर 1022 आरक्षियों के नाम हटाए गए। इनमें सेवानिवृत्त, पदच्युत, मृत्यु, पदोन्नति, त्यागपत्र और लापता कर्मी शामिल थे। वहीं, 752 आरक्षियों के नाम सूची में जोड़े गए। यह अंतिम सूची पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी त्रुटि की जिम्मेदारी संबंधित जिले या इकाई की होगी। ब्यूरो

अमर उजाला क्लासीफाइड
विज्ञापन बुक करने के लिए कॉल करें 1800-121-1166
सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक
www.easyconnect.amarujala.com/classifiedonline

Objectionable ads? Complain to ASCI 7710012345 www.ascionline.in

आवश्यकता है

सामान्य

आवश्यकता है- 1. ड्राइवर- छोटा हाथी चलाने के लिए, 2. अनुभवी सेल्समैन- पाइप की मार्केटिंग के लिए/ बाइक अनिवार्य। नोट- केवल प्रयागराज शहर में रहने वाले ही सम्पर्क करें। मिश्रा पाइप कम्पनी, विवेकानन्द मार्ग, प्रयागराज। मो. 9415235741, 8840551762

SJD Group झूंसी, प्रयागराज को एच.आर. मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेन्ट मैनेजर, स्टोर मैन, सिक्योरिटी गार्ड, कम्प्यूटर आपरेटर की आवश्यकता है। वेतन- योग्यता एवं पदानुसार EPF, ESIC की सुविधा। 9936723999, 9984933394

ए.सी. का काम सीखने वालों की तथा टेक्नीशियन/ मैकेनिक की आवश्यकता है सीखने वालों को पैसा भी मिलेगा। स्थानीय को वरीयता। मो. 9335904151, 9415310550

टीचर्स/शिक्षक

CCC, ADCA, DCA, O level, Tally पढ़ाने के लिए कंप्यूटर टीचर्स की आवश्यकता है। संपर्क करें- पुणे इंस्टीट्यूट (जॉर्ज टाउन थाने के पास) प्रयागराज। 9450612264

GREEN FIELDS ACADEMY
Gauhania Jasra
Prayagraj-212107
Affiliated to CBSE New Delhi (Affn No.2131397)
REQUIRED
1-PGT: Physical Education - M.P.Ed.
2-TGT: Mathematics Qual. PG with B.Ed.
3- Art & Carft : Master of Fine Arts
All eligible applicants having fluency in communication, may send their Bio-data indicating the name of the post applied for at
e-mail: infogreenfields 2010@gmail.com
Contact
8081867779
9839760251

वर्कर

भर्ती दिल्लीमेट्रो, मेरठमेट्रो, आगरामेट्रो लखनऊमेट्रो में बिनाईटरव्यू अनपढ़ 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, सैलरी-22000/- 35000/- 84000/- आज फार्म भरें, कल से डयूटी करें, रहनाखाना+ फण्ड+मेडिकल सुविधा- 9971208439

अमर उजाला परिवार हमेशा आपकी सेवा हेतु तत्पर

बिकाऊ

रिहायशी

प्रयागराज (झलवा, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट, भगवतपुर) में मकान/ प्लाट खरीदने/ बेचने हेतु (झलवा में 250 वर्गगज तथा नीम सरांय में ए.डी.ए. एल.आई.जी. मकान) सम्पर्क- 8707594773

सर्विसेज

ज्योतिष/वास्तु

पंडित पी.के. शर्मा शास्त्री सभी समस्याओं का 11घंटों में घर बैठे समाधान स्पेशलिस्ट वशीकरण, लवमैरिज, मनचाहा प्यार, ग्रहबंधन, शादी, कारोबार रूकावट, सौतन दुश्मन छुटकारा #9058237593

मेडिकल

सैक्स संबंधी

सैक्स समस्याएं छोटी इन्द्री निराश क्यों ? जोश जगा दे, धूम मचा दे।
18 से 80 वर्ष तक मानदावक इन्द्री को 8-9 इंच लम्बा मोटा, कठोर बनायें। सैक्स टाइम 30 से 40 मिनट बढ़ायें। नहीं तो हाजरोंहो बनायें, धातु का उपचारक, सुस्त, डी. पी. में भी जबरदस्त लाभदायक।
लगाई पर पैसे लगाओ।
8271080945
8271080946

शीघ्रपतन सेक्स समस्याऐं अंग का छोटापन
शर्म संकोच चिंता छोड़ें मिलें या फोन कर परामर्श लें hashmi.com निःशुल्क संतानहीनता स्थापित 1929 ये लिए सेक्स डाक्टर से हाशमी दवाखाना अमरोहा-UP 9997782987 9045933295

सूचना

व्यक्तिगत

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम Mohammad Zakarya था। जो अब बदलकर सही नाम Mohd. Zakaria हो गया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। Mohd. Zakaria S/O Mohammad Shoaib Add- Mariyadeeh, Post- Bamrouli Uperhar, Allahabad, U.P., 211012

मैं भूतपूर्व सैनिक आर्मी नं. 15206397K, ब्यास कुमार मिश्र निवासी- ग्राम- चादेराई, पोस्ट/ थाना- पश्चिम शरीरा, तह.- मंझनपूर, कौशाम्बी उ.प्र. सूचित करता हूं कि मेरे सैन्य दस्तावेज पी.पी.ओ. में मेरी पत्नी का नाम Shayama Mishra गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम Shyama Devi है। अब मुझे इसी नाम से लिखा, पढ़ा व जाना जाए।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पासपोर्ट संख्या- P2657971 में मेरा नाम सूजन (Srijan) गलत अंकित है जबकि मेरे आधार के अनुसार मेरा सही नाम सूजन चौधरी (Srijan Chaudhary) है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम से जाना- पहचाना व पासपोर्ट में दर्ज किया जाए। सृजन चौधरी पुत्री आशुतोष कुमार चौधरी निवासी- सी-202, सत्पुष्प ग्रेडेउर, ताशकन्द मार्ग, प्रयागराज।

मेरा नाम पुराने पासपोर्ट में Shezan Akhter त्रुटिवश हो गया था परन्तु आधार में मेरा सही नाम Shezan Akhtar है। भविष्य में इसी नाम को सही जाना व पढ़ा- लिखा जाए। शेज़ान अखतर पुत्र शाहिद अखतर निवासी- 992K/1 तुलसीपुर, प्रयागराज।

वर्गीकृत विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें 7617705556

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह दी जाती है किसी विज्ञापन पर किसी भी प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में अपनी पूरी तरह जॉच पडताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता या विज्ञापन दाता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापन दाता द्वारा दिए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन **जैसे टावर सम्बन्धी, नौकरी सम्बन्धी, ऋण सम्बन्धी या अन्य** किसी भी प्रकार के विज्ञापन में पाठको को सावधान किया जाता है कि कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले विज्ञापन के बारे में पूर्ण जांच पड़ताल कर लें तब आगे बढ़ें। समाचार पत्र उपरोक्त किसी भी विज्ञापन के बारे में किसी पाठक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

Medical Helpline
डी.आर.एस. हॉस्पिटल
NABH ACCREDITED | QUALITY COUNCIL OF INDIA
Dr. PREKSHY SINGH MBBS, MD, (Respiratory Medicine/ Chest Specialist) (छाती एवं श्वास रोग विशेषज्ञ)
(OPD: 2:00 PM to 4:00 PM)
सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा एवं सभी बीमारियों का सम्पूर्ण इलाज CT Scan Available
एलर्जी, टी.बी., पुरानी खाँसी, दमा, निमोनिया PRO हेतु इच्छुक सम्पर्क करें
CGHS ECHS AYUSHMAN DEEN DAYAL ALL TPAS
9336875558, 9452522403 ट्रांसपोर्ट नगर, मुण्डेरा मण्डी के सामने, प्रयागराज

मेडिकल हेल्पलाइन में विज्ञापन हेतु डॉक्टर सम्पर्क करें :- 9044071893

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission
Vidyut Niyamak Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Ph: 0522-2720426, Fax: 0522-2720423, E-mail: secretary@uperc.org, Website: www.uperc.org

Ref: UPERC/D(T&S)JD(T)/209/491 Dated: 23.07.2026

PUBLIC NOTICE

The Commission has framed draft Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Uttar Pradesh Electricity Grid Code) Regulations, 2026 along with its Explanatory Memorandum, which is available on the Commission's website **www.uperc.org.** The Commission hereby invites written suggestions and/or objection from all stakeholder/public on draft Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Uttar Pradesh Electricity Grid Code) Regulations, 2026, which may be sent to the Secretary, Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission formally by post along with soft copies of the same be sent on e-mail at **secretary@uperc.org on or before 21.08.2026.**

The Commission shall hold **"Public Hearing" on 01.09.2026 at 11:00 Hrs.** in the office of the Commission. All the suggestions and/or objections received **on or before 21.08.2026** shall be considered by the Commission. **Secretary**

376 सहायक आयुक्तों की पोस्टिंग में नियमों की अनदेखी का आरोप

लखनऊ। राज्य कर विभाग में 376 सहायक आयुक्तों के तबादलों की सूची जारी होने के बाद विभाग के भीतर पोस्टिंग प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विभागीय सूत्रों का दावा है कि कई स्थानांतरण विभागीय नियमों के विपरीत किए गए हैं। विशेष रूप से सचल दल में तैनाती को लेकर निर्धारित नीति का पालन नहीं किया गया। आरोप है कि कई अधिकारियों को नियमों के विपरीत एक बार फिर सचल दल में तैनाती दे दी गई। सहायक आयुक्तों की स्थानांतरण सूची 15 जून तक जारी होने की चर्चा थी लेकिन एक महीने विलंब के बाद बृहस्पतिवार को जारी की गई। ब्यूरो

समन विनायक इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर ५, कायदा १ व १५)
नम्बर मुकदमा ३०४०-7389
अपील सं. 202516530107389 सन् 2025
व अदालत उपजिलाधिकारी सदर मीरजापुर
अन्तर्गत धारा 35(2), रा. संहिता 2006 विरुद्ध आदेश दिनांक 18.03.2024 न्यायालय तह० सदर, मीरजापुर
ममता सिंह बनाम जया बगैरह,
प्रतिवादी -इन्द्रजीत सिंह पुत्र राजदेव निवासी सिकन्दरपुर, परगना मगेर जिला पूरब बिहार, हाल पता -15/9 शिव नगर कालोनी अल्लापुर पयागंज सदर इलाहाबाद (प्रयागराज), प्रतिवादी-4 सर्वसीता सिंह हाल पता- विभाग 10 मार्ग अंबेश, बहुआ टोला जाहुनवार, सोनभद्र
हरराह आपके नाम नालिश के दायर की है लिहाजा अवगत हुआ होता है कि आप बतारीख 03 माह 08 सन् 2026 बवक्त बजे दिन के अवश्यमेव या भारवत वकील के जो मुकदमे के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और उपरानबयान मुतालिकत्रा मुकदमा का जवाब दे सके या जिस के साथ और कोई सखा हो जो कि जवाब देने सवालात का दे सके हाजिर हो और नवाबदेही दावा करें और आपको खाजिस है कि उसी रोज मुवाद दरतारीख पेश करें जिस पर आप बताएं अपना जवाबदेही के इसीमात करना चाहते हो।
आपको इत्तला दी जाती है कि अगर मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिर आपके समक्षुख और होगा सख्त मेरे दरखवास्त और मुहर अदालत के आज बतारीख 21 माह 07 सन् 2026 ई० जारी किया।
न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मीरजापुर

कार्यालय, नगर पंचायत, सुवंसा बाजार, जनपद-प्रतापगढ़, उ०प्र०
पत्रांक 302 / न०पं०सु०/2026-27 दिनांक 21 जुलाई, 2026
(पुनः ई-निविदा आमंत्रण सूचना)
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, शासन के पत्र संख्या 1/1234527/026/मु०म०न०सु०यो०/001-2-1992327 नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11.02.2026 के द्वारा मु०म०न०सु० योजना मद की प्राप्त धनराशि से ई-प्रोक्यूमेंट सूचना के माध्यम से आपूर्ति कार्य कराया जाना है। कराये जाने वाले कार्य हेतु (टेक्निकल एवं फाइनेन्शियल) ई-निविदा वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर आनलाइन के माध्यम से इस कार्यालय के पत्र संख्या 135/न०पं०सु०बा0/2026-27 दिनांक 23 मई, 2026 को ई-निविदा आमंत्रित की थी। उक्त निविदा के तकनीकी परीक्षण में कुछ निविदा अस्वीकृत हो गयी थी। जिनका पुनः प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। ई-निविदा की समस्त कार्यवाही वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर किया जायेगा। निविदा शुल्क की धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सुवंसा बाजार में खुले खाता संख्या-41569767476, IFSC Code-SBIN0017377 में जमा करके प्राप्ति रसीद निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निकाय निधि के खाते में जमा निविदा शुल्क को किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा। निविदा की विस्तृत जानकारी ई-निविदा वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा की तिथि व समय का विवरण

1	वेबसाइट पर ई-निविदा प्रकाशन की तिथि व समय	23/07/2026 (06:00 PM)
2	ई-निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि व समय	23/07/2026 (06:00 PM)
3	ई-निविदा अपलोड की प्रारम्भ तिथि व समय	23/07/2026 (06:00 PM)
4	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि व समय	06/08/2026 (02:00 PM)
5	ई-निविदा खोले जाने की तिथि व समय	06/08/2026 (04:00 PM)

अधिशासी अधिकारी — नगर पंचायत सुवंसा बाजार, जनपद-प्रतापगढ़
अध्यक्ष — नगर पंचायत सुवंसा बाजार, जनपद-प्रतापगढ़

रिवॉल्वर की पत्रावली अभिलेखागार से गायब करने के आरोप में आपशा अंसारी सहित तीन पर प्राथमिकी

गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी व 50 हजार की इनामी आपशा अंसारी सहित तीन के खिलाफ पुलिस ने क्रय-विक्रय की गई रिवॉल्वर की पत्रावली अभिलेखागार से गायब कराने के आरोप में बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की। एक आरोपी तत्कालीन पटल सहायक बृजनारायण राम का निधन हो चुका है। पुलिस के मुताबिक, 1995 में आपशा अंसारी को शस्त्र लाइसेंस जारी हुआ था। इस पर रिवॉल्वर खरीदी गई थी। इसके बाद उसकी बिक्री कर दूसरा शस्त्र लाइसेंस पर खरीदा गया। ऐसे में पहली बार खरीद और बिक्री की गई रिवॉल्वर की पत्रावली अभिलेखागार से गायब है।

एसपी सिटी डॉ. राकेश मिश्रा ने बताया कि मुख्तार अंसारी और उसके परिजनों ने लिए गए शस्त्रों की वर्तमान स्थिति, गैंग आईएस 191 के सदस्यों व सहयोगियों की ओर से लिए गए 51 शस्त्र लाइसेंसों पर क्रय विक्रय किए गए विभिन्न शस्त्रों का भौतिक सत्यापन और जांच कराई जा रही है। शस्त्र लिपिकों को अपने आपराधिक कृत्यों से प्रभाव में लेकर उनके साथ मिलीभगत व आपराधिक षडयंत्र कर शस्त्र लाइसेंस से संबंधित मूल पत्रावली व क्रय-विक्रय पत्रावली को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के अभिलेखागार से गायब करा दिया गया।

एसपी सिटी ने बताया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आपशा अंसारी ने 1995 में शस्त्र लाइसेंस लिया था। इसकी संख्या-1054/पी 11 है। इस लाइसेंस पर खरीदे गए शस्त्र पत्रावली व क्रय विक्रय संबंधी पत्रावली आपशा अंसारी ने शस्त्र लिपिकों के साथ मिलीभगत व षडयंत्र करते हुए अभिलेखागार से गायब करा देने का तथ्य प्रकाश में आया है। संवाद

अधिक खबरों के लिए amarujala.com

कार्यालय परियोजना प्रबंधक, यूनिट-26
कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
कार्यालय. 3/14, शिवम क्रास, गोमती नगर, लखनऊ-226010
प्रधान कार्यालय: टी.डी. 38-बी सिद्धार्थ क्रास, गोमती नगर, लखनऊ.226002
Visit us at: www.cdsupjn.org
e-mail: pmunit26@gmail.com

पत्रांक- 1418/G-10/399
दिनांक : 20.07.2026

ई-निविदा सूचना

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत **Augmentation of Flood Pumping Station for Water Disposal at Various Pumping Station, District Lucknow** का कार्य अनुमानित लागत ₹ 3914.74 लाख (जी.एस.टी. रहित एवं लेबर सेस सहित) हेतु सी. एण्ड डी.एस. में **(Composite) Class-AA** श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 17.08.2026 के अपरान्ह 05:00 बजे तक ई-निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। उक्त कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र दिनांक 20.07.2026 से दिनांक 17.08.2026 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार की **e-procurement** वेबसाइट https://etender.up.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते है तथा ई-निविदा दिनांक 18.08.2026 के अपरान्ह 04:00 बजे सी. एण्ड डी.एस. यूनिट-26, उ.प्र. जल निगम (नगरीय), लखनऊ में निविदा खोली जायेगी। ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹ 20,000.00+GST (18%) अतिरिक्त देय होगा।

निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट **www.cdsupjn.org** एवं प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल **https://etender.up.nic.in** पर उपलब्ध है। समस्त शुद्धि पत्र (Corrigendum) https://etender.up.nic.in पर ही अपलोड किये जायेंगे **इनका पृथक से कोई प्रकाशन नहीं किया जायेगा।** निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे उक्त वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

यूको बैंक
आंचलिक कार्यालय : धनश्री कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, डी–63/8–1एम, तुलसीपुर, महमूरगंज, वाराणसी

ई–नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी एक्ट 2002 के तहत)

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण वित्तीय आस्ति का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम – 2002 (SARFAESI ACT - 2002) की धारा 13(2) सहपठित नियम 5, 6, 7, 8, और 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के पास सा